रजिस्ट्री सं. डी. (डी.) 187
REGISTERED NO. D. (D.) 187

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली प्रशासन
DELHI ADMN.

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधारण
EXTRAORDINARY

सं० 174] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 1981/आश्विन 9, 1903
No. 174] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 1981/ASVINA 9, 1903

भाग IV
PART IV

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1981

संख्या एफ. 1(23)/81-मु. नि. का./श्रम/1314 :—भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 108, दिनांक 14 फरवरी, 1956 के साथ पठित, कारखाना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 1948 का 63) की धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उप-राज्यपाल, यह घोषित करते हैं कि इस अधिसूचना के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, उक्त अधिनियम की समस्त धाराएं, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे संस्थाओं पर लागू होंगी, जहां कि पत्थर पीसने का कार्य विद्युत शक्ति द्वारा या सामान्य रूप से किया जा रहा, भले हो कि —

(1) जहां विद्युत शक्ति की सहायता से 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हों,

(2) कार्यरत कर्मचारी स्वामी के कर्मचारी न हों, किन्तु ऐसे की अनुमति से या उसके साथ हुए समझौते के अन्तर्गत कार्य कर रहे हों :

परन्तु यह है कि निर्माण प्रक्रिया स्वामी द्वारा केवल उसके परिवार के सदस्यों की सहायता से नहीं की जा रही हो ।

आदेश से,
बी. पी. जैन, अवर सचिव (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 1981

No. F. 1(23)/81.C.IF./Lab.| 5314.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 85 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), read with the Government of India, Ministry of Labour and Employment's Notification No. S.O. 108 dated 14th February, 1956, the Lt. Governor of Delhi, hereby declares that on and from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette, all the provisions of the said Act shall apply to any place in the Union territory of Delhi, wherein the process of crushing of stone is carried on, with the aid of power or is so ordinarily carried on, notwithstanding that—

(i) the number of persons employed therein is less than ten, or

(ii) the persons working therein are not employed by the owner thereof but are working with the permission of, or under agreement with, such owner :

Provided that the manufacturing process is not being carried on by the owner only with the aid of his family.

By Order,
B. P. JAIN, Under Secy. (Labour)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981